



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221749
CG-DL-E-16092020-221749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2790]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942

No. 2790]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

का.आ. 3138(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के पटना जिले में NH30 के कि.मी. 181.3 से कि.मी.231.95 (हिन्दी भवन, छज्जू बाग, पटना) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05.05.2020 " को "हिंदुस्तान" और " द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के पटना जिले में NH30 के कि.मी. 181.3 से कि.मी. 231.95 (हिन्दी भवन, छजू बाग, पटना) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: पटना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बख्तीआरपुर				
	गांव का नाम: चम्पापुर				
1	1437	निजी(भीठ)	कृषि	0.1542231	मो मिस्कत अहमद पिता मद अख्तर हुसैन (1437)
	तालुक का नाम: फतुहा				
	गांव का नाम: सोनारू				
1	1237	निजी(धनहर)	कृषि	0.0207204	लालमुनि देवी पति मधुसदन पंडित पटना सिटी (1237)
2	146	निजी(भीठ)	कृषि	0.0149103	अजय कुमार आज़ाद पिता राम किशोर प्रसाद (146)
3	147	निजी(भीठ)	कृषि	0.0175804	अजय कुमार आज़ाद पिता राम किशोर प्रसाद (147)
4	603	निजी(भीठ)	कृषि	0.0828817	अजय कुमार आज़ाद पिता राम किशोर प्रसाद (603)
	गांव का नाम: वारीसपुर				
5	138/250	निजी(भीठ)	कृषि	0.0748615	कुंती देवी पति राजेश्वर प्रसाद

					(138/250 138/250)
	तालुक का नाम: खुसरपुर				
	गांव का नाम: कटौना				
1	224	निजी(भीठ)	कृषि	0.0727815	आया कुमारी पिता राज किशोर प्रसाद स्वर्णरिखा पिता सतीश चंद्र कुमार (224)
	तालुक का नाम: पटना सदर				
	गांव का नाम: सल्लेहपुर कसारा				
1	147	निजी(भीठ)	कृषि	0.0085802	कुसुम देवी पति जिया लाल सिंह (147)
			कुल	0.4465391	

[फा. सं. NHAI/PIU/Patna/Pat-Bakh/LA/2019/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

S.O. 3138(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said otification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH30 on the stretch of land rom Km. 181.3 to Km. 231.95 (Hindi Bhawan, Chhaju Bag, Patna) in the district of PATNA in the state of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification has been published in “NewsPaper Name1” and “Newspaper Name2” both dated Newspaper Date; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH30 in the stretch of land from NH30 (Hindi Bhawan, Chhaju Bag, Patna) in the district of PATNA in the state of BIHAR

State: BIHAR		District: PATNA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bakhtiarpur					
Viilage: Champapur					
1	1437	Private(Bheeth)	Agriculture	0.1542231	Mo miskat Ahamad Pita md Akhtar husen 1437
Taluk: Fatuha					
Viilage: Sonaru					
1	1237	Private(Dhanhar)	Agriculture	0.0207204	Lalmuni devi Pati madhusadan Pandit Patna City 1237
2	146	Private(Bheeth)	Agriculture	0.0149103	Ajay Kumar Azad Pita Ram kishor Prasad 146
3	147	Private(Bheeth)	Agriculture	0.0175804	Ajay Kumar Azad pita ram Kishor 147
4	603	Private(Bheeth)	Agriculture	0.0828817	Ajay Kumar Azad Pita Rajkishor Prasad 603
Viilage: Warisipur					
5	138/250	Private(Bheeth)	Agriculture	0.0748615	kunti Devi pati Rajeshwer Prasad 138/250 138/250
Taluk: Khusrupur					
Viilage: Katona					
1	224	Private(Bheeth)	Agriculture	0.0727815	Aaya Kumari pita Raj kishor Prasad SwarnRekha Pita Satish chandra Kumar 224
Taluk: Patna Sadar					
Viilage: Salehpur kasara					
1	147	Private(Bheeth)	Agriculture	0.0085802	kusum Devi Pati jiya lal Singh 147
			TOTAL	0.4465391	

[F. N. NHA/PIU/Patna/Pat-Bakh/LA/2019/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.